भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No.1-6/LT/2022-INC **Dated:** 23 MAR 2022

NOTIFICATION NO – 4 OF 2022

Sub: Biometric Based attendance system – reg

All the Nursing Institutions are hereby directed to have biometric attendance machines installed in their premises for capturing attendance of Nursing Students and Teachers. Both the students & teachers shall put their attendance in the Morning & Evening of each working day through these machines.

The biometric attendance shall be made available on the Nursing Institutions Website in the form of daily attendance dashboard. The Council may seek from the Nursing Institutions, such record of attendances during or after assessment.

The maintenance of the biometric attendance system shall be the responsibility of the Nursing Institutions. The Dean/ Principal at the discretion of the Council, shall be required to furnish an undertaking by way of an affidavit stating that the enrolment of human resources in the biometric system has been ensured in a trusted environment and the report of the biometric attendance, is authentic and correct.

The financial burden arising on account of setting up of biometric attendance system and human resources enrolment shall be borne by the respective Nursing Institutions.

Further, in case any Nursing Institution does not comply with the instructions issued by the Council, the Council shall be constrained to take necessary action as it may deemed fit in facts and circumstances of the each case as per the provision of INC Act, 1947 and the Regulations made under or any other law for the time being in force.

The circular is being sent for each and every Nursing Institution for its strict adherence and compliance.

(Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur)
Secretary

Copy Forwarded to:

1. Registrar, All Universities offering and examining Nursing Programmes.
2. Registrar, State Nursing Councils
3. Principal, School / College of Nursing.
4. INC Website

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

एफ संख्या 1–6/एलटी/2022–आईएनसी

दिनांकः 23 मार्च, 2022

अधिसूचना संख्या – 4/2022

विषयः– बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली

सभी नर्सिंग संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने परिसरों में नर्सिंग छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन लगवा लें। छात्र और शिक्षक दोनों ही के द्वारा इन मशीनों के माध्यम से प्रत्येक कार्य दिवस की सुबह और शाम को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

बायोमेट्रिक उपस्थिति को दैनिक उपस्थिति डैशबोर्ड के रूप में नर्सिंग संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। भारतीय उपचर्या परिषद् आंकलन के दौरान या आंकलन के पश्चात नर्सिंग संस्थानों से उपस्थिति के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के रखरखाव की जिम्मेदारी नर्सिंग संस्थानों की होगी। भारतीय उपचर्या परिषद् के निर्णय पर नर्सिंग संस्थान के डीन/प्राचार्य को आवश्यक रूप से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह शपथ ली गई हो कि बायोमेट्रिक सिस्टम में मानव संसाधन का नामांकन एक विश्वसनीय वातावरण में सुनिश्चित किया गया है और बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिपोर्ट प्रामाणिक और सही है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने और मानव संसाधन के नामांकन के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय बोझ को संबंधित नर्सिंग संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि कोई नर्सिंग संस्थान, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो परिषद् आईएनसी अधिनियम, 1947 के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

यह परिपत्र प्रत्येक नर्सिंग संस्थान को इसका कड़ाई से पालन और अनुपालन करने के लिए भेजा जा रहा है।

भवदीया,

Sd/-

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ) सर्वजीत कौर
सचिव
भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रतिलिपिः

1. नर्सिंग कार्यक्रमों का संचालन एवं परीक्षा आयोजित करने वाले सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार
2. सभी राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार
3. सभी स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य
4. आईएनसी वेबसाइट